उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता मामले अनुभाग-2
पत्र संख्या: 134 /84-2-2025सी0पी014/88टी0सी0-163983
लखनऊ : : दिनांकः 25-02-2025

## निविदा सूचना

उ0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में 01 गैर न्यायिक सदस्य एवं जिला आयोगो में अध्यक्ष के 46 रिक्त पदों व सामान्य सदस्य के 48 रिक्त पदों एवं महिला सदस्य के 29 रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के तहत गठित चयन समिति की संस्तुति के अनुसार उ0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में 01 गैर न्यायिक सदस्य एवं जिला आयोगी में अध्यक्ष व सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य पद हेतु लगभग 2500 अभ्यर्थियों के लिए एक लिखित परीक्षा कराई जानी है |लिखित परीक्षा में दो पश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र का अर्हताक 50 प्रतिशत होगा, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| प्रश्नपत्र | विषय | परीक्षा की प्रकृति | अधिकतम अक | अवधि |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम प्रश्नपत्र | (क) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले ।<br>(ख) भारत के संविधान का ज्ञान।<br>( ग) **अनुसूची** में यथा उपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधित विधियों का ज्ञान। | वस्तुनिष्ठ प्रकार | 100 | 2 घंटे |
| द्वितीय प्रश्नपत्र | (क) व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों से चुने गये विषयों पर एक निबंध।<br>(ख) आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिये उपभोक्ता मामले के संबंध में एक मामला अद्यायन। | वर्णनात्मक प्रकार | 100 | 3 घंटे |

### अनुसूची
**(नियम-6(9) देखे)**

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
2. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1)
3. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)
5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)
6. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23)
7. माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3)
8. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (2016 का 16)
9. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
10. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)

2. उक्त परीक्षा लखनऊ में आयोजित की जाएगी।

3- उक्त परीक्षा को आयोजित किए जाने हेतु निम्न संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| क्र0 | संस्थाओं का नाम एवं पता |
|---|---|
| 1. | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 2. | आई0आई0एम0 सीतापुर रोड, लखनऊ। |
| 3. | जे0टी0आर0आई0 (जुडिशियल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इस्टीट्यूट), गोमतीनगर लखनऊ। |
| 4. | डॉ0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ। |
| 5. | डॉ0 शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 6. | बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ। |

4- आवेदन पत्रों को निबंधक राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा प्राप्त कर संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त संस्थाओं से परीक्षा संपादित करने के लिए (प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने तक) की प्रक्रिया हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

5- उक्त संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि सीलबंद लिफाफे में निविदा राज्य उपभोक्ता आयोग के गेट नंबर संख्या 03 में लगी निविदा पेटी में निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि से दिनांक 17 मार्च, 2025 की 6.00 बजे सायं तक किसी भी कार्य दिवस में डाली जा सकती है। संबंधित संस्थाओं से प्राप्त निविदा दिनांक 19 मार्च, 2025 को राज्य उपभोक्ता आयोग के मीटिंग हाल में सायं 04:00 बजे विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव, न्याय विभाग उ0प्र0 शासन की गठित 03 सदस्यीय उपसमिति द्वारा निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष निविदा खोली जाएगी। उप समिति नियमानुसार निविदा का परीक्षण करेगी तथा जो संस्था चयनित होगी, उसका नाम चयन समिति को उपलब्ध कराएगी। उक्त निविदा राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट http://scdrc.up.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।

Signed by
Abhishek Goyal
(अभिषेक गोयल)
Date: 25-02-2025 18:07:00
विशेष सचिव